न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06/2018

राकेश छीपा निवासी एच–90 रामधाम के पीछे आजाद नगर भीलवाडा राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक राज0

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.02.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2017 से संबंधित सूचना उपलब्ध नही करवाने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपील खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर कों प्रेषित करने पर खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 19.01.2018 से अपील प्राप्त हुई है। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

True copy of "ATTENDANCE REPORT" of all employee working in office (जिला रसद कार्यालय–टोंक) at Tonk City from 01.01.2017 to 30.01.2017 with timing.

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 216 दिनांक 31.01.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 1106 दिनांक 05.02.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 10.01.2018 द्वारा शुल्क 1 पृष्ठ के 2 रूपये के हिसाब से 2 रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नही कराया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 06/2018

राकेश छीपा निवासी एच–90 रामधाम के पीछे आजाद नगर भीलवाडा राज0

––अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक राज0

–प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 14.02.2018**

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 20.11.2017 से संबंधित सूचना उपलब्ध नही करवाने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपील खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर कों प्रेषित करने पर खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग राज0 जयपुर द्वारा उनके पत्र दिनांक 19.01.2018 से अपील प्राप्त हुई है। अपीलाण्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

True copy of "ATTENDANCE REPORT" of all employee working in office (जिला रसद कार्यालय–टोंक) at Tonk City from 01.01.2017 to 30.01.2017 with timing.

अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नही हुऐ। लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक को पत्र क्रमांक 216 दिनांक 31.01.2018 द्वारा जवाब भिजवाने हेतु निर्देशित करने पर लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी टोंक ने पत्र क्रमांक 1106 दिनांक 05.02.2018 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी को पत्र क्रमांक 1073 दिनांक 10.01.2018 द्वारा शुल्क 1 पृष्ठ के 2 रूपये के हिसाब से 2 रूपये जमा कराने हेतु लिखा गया था किन्तु प्रार्थी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा नही कराया गया है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव जिला रसद अधिकारी टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(सुबे सिंह यादव)
जिला कलेक्टर एंव
प्रथम अपील अधिकारी टोंक